न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : वंदना सिंघवी, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 405/2017

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
1– माली विकास संस्थान फलोदी जरिये अध्यक्ष जेठमल पुत्र मीठालाल जाति माली निवासी ग्राम फलौदी तहसील फलौदी जिला जोधपुर 2– रमणलाल पुत्र भंवरलाल जाति माली (पंच माली समाज) निवासी फलौदी तहसील फलौदी, जिला जोधपुर 3– जसराज पुत्र पूनाराम जाति माली (पंच माली समाज) निवासी फलौदी तहसील फलौदी जिला जोधपुर		1– भेराराम पुत्र रामलाल जाति माली निवासी भेरूगिरी सराय के सामने, मालियों का बास, फलोदी तहसील फलोदी जिला जोधपुर 2– बंशीलाल पुत्र बाबूलाल माली निवासी मालियो की गवाड, फलोदी 3– गांधीलाल पुत्र बाबूलाल 4– कलाराम पुत्र बाबूलाल 5– मोनाराम पुत्र बाबूलाल 6– कानाराम पुत्र बाबूलाल 7–सम्पतलाल पुत्र बाबूलाल 8– शैतानराम पुत्र बाबूलाल सभी जातियान माली निवासीगण नयापुरा स्कूल के पीछे, मालियो का बास, फलोदी जिला जोधपुर 9– लीला पुत्री बाबूलाल 10–तीखो पुत्री बाबूलाल 11–बेना पुत्री बाबूलाल जातियान माली निवासीगण मालियो का बास खीचन तहसील फलोदी, जिला जोधपुर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय दिनांक 30–12–2015 जो अतिरिक्त जिला कलेक्टर फलोदी द्वारा राजस्व अपील संख्या 71/2013 अनवान भेराराम बनाम बंशीलाल वगैरा मे पारित किया गया ।

उपस्थितिः– (अपील संख्या 405/2017 मे)

1– श्री सुरेश परिहार अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।
2– श्री लाधूराम पूनिया अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 की ओर से ।
3– श्री सुगनमल परिहार, सूर्यप्रकाश पंवार अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 2 से 11 की ओर से।

राजस्व अपील संख्या 407/2017

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
1– बंशीलाल पुत्र बाबूलाल माली निवासी मालियो की गवाड, फलोदी 2– गांधीलाल पुत्र बाबूलाल 3– कलाराम पुत्र बाबूलाल 4– मोनाराम पुत्र बाबूलाल 5– कानाराम पुत्र बाबूलाल 6–सम्पतलाल पुत्र बाबूलाल 7– शैतानराम पुत्र बाबूलाल सभी जातियान माली निवासीगण नयापुरा स्कूल के पीछे, मालियो का बास, फलोदी जिला जोधपुर 8– लीला पुत्री बाबूलाल 9–तीखो पुत्री बाबूलाल		भेराराम पुत्र रामलाल जाति माली निवासी भेरूगिरी सराय के सामने, मालियों का बास, फलोदी तहसील फलोदी जिला जोधपुर

10–बेना पुत्री बाबूलाल जातियान माली निवासीगण मालियो का बास खीचन तहसील फलोदी, जिला जोधपुर 11–जगमालराम पुत्र गंगाराम जाति विश्नोई निवासी गिलाकौर तहसील शेरगढ जिला जोधपुर 12– बाबूलाल पुत्र नैनाराम जाति विश्नोई निवासी लोडता हरीदासोत तहसील शेरगढ जिला जोधपुर 13–मांगीलाल पुत्र तुलछाराम जाति विश्नोई निवासी दयासागर जिला जोधपुर 14–श्रीमती नैनीदेवी पत्नी मोहनलाल जाति विश्नोई निवासी दयासागर, जिला जोधपुर		

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय दिनांक 30–12–2015 जो अतिरिक्त जिला कलेक्टर फलोदी द्वारा राजस्व अपील संख्या 71/2013 अनवान भेराराम बनाम बंशीलाल वगैरा मे पारित किया गया ।

उपस्थितिः– (अपील संख्या 407/2017मे)

1– श्री सुगनमल परिहार,सूर्यप्रकाश पंवार अधिवक्ता अपीलांट संख्या 1 से 10 की ओर से ।

2– श्री जे.गहलोत, के.के.भाटी अपीलांट संख्या 11 से 14 की ओर से।

3– श्री लाधूराम पूनिया अधिवक्ता रेस्पो0 की ओर से ।

निर्णय

दिनांक 22–11–2017

उक्त दोनो ही अपीलें अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, फलोदी द्वारा अपील संख्या 71/2013 अनवान भेराराम बनाम बंशीलाल वगैरा मे पारित किये गये निर्णय दिनांक 30–12–2015 के विरूद्ध पृथक–पृथक पेश की जाने से उक्त दोनो अपीलों का सम्मलित निर्णय पारित किया जा रहा है ।

उक्त दोनो अपीलो का संक्षिप्त तथ्य इसप्रकार है कि कस्बा फलोदी के खसरा नंबरान 411, 234, 237, 401, 411/1 रकबा 32.01 बीघा तथा खसरा नंबर 420 रकबा 3.03 बीघा भूमि की सहखातेदार वरजू बेवा गंगाराम जाति माली थी जिसके फौत होने पर उक्त भूमि के संबंध मे विरासत का नामांतरकरण संख्या 352

मृतक खातेदार वरजू के कोई जायंदा पुत्र नही होने से वारिसान मे वरजू के देवर रामलाल के एक पुत्र बाबुलाल पुत्र रामलाल का नाम दर्ज करते हुए तहसीलदार फलौदी द्वारा दिनांक 7–12–1976 को स्वीकृत किया गया । उक्त नामांतरकरण संख्या 352 के विरूद्ध प्रथम अपील वर्तमान रेस्पो0 संख्या 1 भेराराम पुत्र रामलाल ने वर्ष 2013 मे

लगभग 37 वर्ष के विलंब से पेश की, जो अपील अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 30–12–2015 के द्वारा स्वीकार करते हुए उक्त नामांतरकरण संख्या 352 को निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार फलौदी को माफिक रामलाल की वंशावली अनुसार लाऔलाद फोत वरजू बेवा गंगाराम के उक्त खातेदारी भूमि का राजस्व रेकर्ड मे बहिस्सा बराबर–बराबर अमल दरामद करने के आदेश पारित किये गये । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के विरूद्ध वर्तमान उक्त दोनो अपीले इस न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत हुई है ।

उभयपक्ष के अधिवक्तागण उपस्थित । वकील पक्षकारान की बहस सुनी गई । अपील संख्या 405/2017 के अपीलांट अधिवक्ता ने अपनी बहस के दौरान कथन किया कि अपीलाधीन भूमि की खातेदार बरजू बेवा गंगाराम ने अपीलाधीन भूमि के 1/3 भाग की भूमि माली समाज फलोदी को बक्शीश कर दी थी तथा संवत् 2024 मे ही माली समाज फलोदी को भूमि का कब्जा सुपुर्द कर दिया जाने के बाद उक्त भूमि पर माली समाज ने चार दिवारी का निर्माण करवाकर उक्त भूमि पर स्कूल, हॉल, स्नानघर, रसोईघर आदि का निर्माण समाज द्वारा दिये गये चंदे से करवाया हुआ है तथा कुछ निर्माण कार्य विद्यायक कोटे से प्राप्त राशि से भी करवाया हुआ है, जिस पर पानी एवं बिजली का कनेक्शन भी वर्षो पूर्व से लिया हुआ है जिसका उपयोग समाज के लोगो द्वारा किया जा रहा है तथा उक्त भूमि राजस्व रेकर्ड मे भी माली समाज के नाम से दर्ज हो चुकी थी । वकील अपीलांट ने बहस के दौरान अपील पत्रावली मे नत्थी मौके के फोटोग्राफ्स की ओर भी न्यायालय का ध्यान दिलाया ।

अपील संख्या 405/2017 के अपीलांट अधिवक्ता ने कथन किया कि अपीलाधीन नामांतरकरण संख्या 352 जो वर्ष 1976 के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रथम अपील लगभग 38 वर्ष विलंब से पेश की थी जो जाहिरा तौर से मयाद बाहर थी परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने मयाद के बिन्दु पर बिना कोई निर्णय दिये अपील को मंजुर कर दिया जबकि मयाद के बिन्दु को निर्णित किये बिना अपील मे कोई निर्णय गुणावगुण पर पारित करने का अधिकार अधीनस्थ न्यायालय को नही था इसलिए अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त योग्य है ।

अपीलांट अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि अपीलाधीन नामांतरकरण संख्या 352 के विरूद्ध पूर्व मे एक अपील संख्या 5/77 उपखण्ड अधिकारी फलोदी के न्यायालय मे पेश की गई थी जिसका निर्णय दिनांक 22–11–85 के द्वारा उक्त नामांतरकरण संख्या 352 पर पारित स्वीकृति आदेश दिनांक 7–12–76 को निरस्त करते हुए प्रकरण तहसीलदार फलौदी को रिमाण्ड किया था जिसकी पालना मे तहसीलदार फलौदी ने कार्यवाही सम्पन्न कर नामांतरकरण संख्या 712 दिनांक 30–5–88 को स्वीकृत किया तथा उसके आधार पर राजस्व रेकर्ड मे इन्द्राज भी किये जा चुके है । रेस्पो0 को उक्त तथ्य की जानकारी होते हुए भी उसी नामांतरकरण संख्या 352 के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय से सही तथ्य छुपाते हुए अपील पेश की थी तथा अपीलांट अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि रेस्पो0 भेराराम स्वयं ने बहैसियत ठेकेदार अपील मे वर्णित माली समाज की भूमि पर काफी निर्माण कार्य अपनी मौजुदगी मे करवाया परंतु उक्त तमाम तथ्य को

छुपाते हुए अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत अपील को अधीनस्थ न्यायालय ने भी बिना रेकर्ड की जांच किये ही अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया, जो निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया राजस्व रेकर्ड मे जिन व्यक्तियों का नाम इन्द्राज है उन्हे अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत अपील मे पक्षकार ही नही बनाया गया जबकि वे आवश्यक पक्षकार थे तथा अपीलाधीन भूमि पर अपीलांट का संवत् 2024 से लगातार कब्जा चला आ रहा है इसलिए अपीलांट अपीलाधीन निर्णय से प्रभावित होने से यह अपील इस न्यायालय मे अपील पेश करने की अनुमति के प्रार्थना पत्र के साथ तथा धारा 5 मयाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र के साथ पेश की है, अतः अपीलांट को अपील पेश करने की अनुमति प्रदान करते हुए उक्त अपील को अंदर मयाद सुमार कर उक्त अपील स्वीकार करने तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 30–12–2015 को निरस्त करने का निवेदन किया । अपील संख्या 405/2017 के अधिवक्ता ने बहस के दौरान फार्म नंबर 3 के सलंग्न दस्तावेज भी पेश किये, जो शामिल पत्रावली किये गये ।

अपील संख्या 407/2017 मे अपीलांटगण की ओर से अधिवक्ता श्री सुगनमल परिहार एवं श्री जे. गहलोत ने अपील संख्या 405/2017 के अधिवक्ता अपीलांट की बहस का समर्थन करते हुए यह कथन किया कि जब म्युटेशन संख्या 352 जो कि दिनांक 7–12–1976 को स्वीकृत हुआ था जिसके विरूद्ध पूर्व मे अपील संख्या 5/77 उपखण्ड अधिकारी फलोदी के न्यायालय मे पेश होने पर उक्त अपील मे पारित निर्णय दिनांक 22–11–85 के द्वारा अपीलाधीन नामांतरकरण संख्या 352 पर पारित स्वीकृति आदेश दिनांक 7–12–76 को निरस्त करते हुए प्रकरण तहसीलदार फलौदी को रिमाण्ड किया था तथा तहसीलदार फलौदी ने उक्त निर्णय की पालना मे कार्यवाही सम्पन्न कर नया नामांतरकरण संख्या 712 दिनांक 30–5–88 को स्वीकृत कर दिया था तथा उसके अनुसार राजस्व रेकर्ड मे इन्द्राज भी किये जा चुके थे । ऐसे मे जब नामांतरकरण संख्या 352 अस्तित्व मे ही नही था तो अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष म्युटेशन संख्या 352 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील चलने योग्य ही नही थी ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत लिखित बहस मे तमाम तथ्य प्रकट कर दिये जाने पर भी अधीनस्थ न्यायालय ने लिखित बहस के तथ्यो को नजरअंदाज करते हुए उनके समक्ष लगभग 38 वर्ष के विलंब से प्रस्तुत म्युटेशन अपील मे बिना राजस्व रेकर्ड का अवलोकन किये तथा 38 वर्ष के विलंब को बिना निर्णित किये ही अपील का निर्णय पारित कर दिया, जो विधिसम्मत नही होने से निरस्त योग्य है ।

अपीलांट अधिवक्ता ने अपनी बहस के दौरान मृतक खातेदार वगतुबाई की वंशावली पेश करते हुए न्यायालय का उक्त वंशावली की ओर ध्यान दिलाते हुए कथन किया कि रेस्पो0 संख्या 1 रामलाल मृतक खातेदार वगतु के वंशावली मे ही नही आने से रेस्पो0 संख्या 1 को अधीनस्थ न्यायालय मे अपील पेश करने का अधिकार ही नही था परंतु इस तथ्य पर गौर किये बिना ही अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया, जो विधिसम्मत नही होने से निरस्त करने का निवेदन किया ।

रेस्पो0 संख्या 1 की ओर से उपस्थित अधिवक्ता श्री एल.आर.पूनिया ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये निर्णय को विधिसम्मत बताते हुए कथन किया कि अपील मे वर्णित वादग्रस्त भूमि की सहखातेदार मु0 वरजु बेवा गंगा के लाऔलाद फोत होने पर उसके खातेदारी की भूमि उसके देवर रामलाल के एक पुत्र बाबू पुत्र रामलाल को ही उतराधिकारी बताते हुए म्युटेशन संख्या 352 स्वीकृत कर दिया था जबकि रामलाल के एक अन्य पुत्र वर्तमान रेस्पो0 संख्या 1 भेराराम भी था तथा उसका भी उक्त खातेदारी की भूमि मे हक अधिकार होने से उक्त विधिविरूद्ध स्वीकृत हुए नामांतरकरण संख्या 352 के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वर्तमान रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30–12–2015 मे अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 352 को निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार फलौदी को मृतक खातेदार वरजु के वारिसान की जांच कर मु0 वरजु के देवर रामलाल के समस्त विधिक वारिसान (पुत्र,पुत्रियो) के नाम राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद करने हेतु रिमाण्ड किया है, जो विधिसम्मत होने से अपीलांट की अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

वकील रेस्पो0 संख्या 1 ने यह भी कथन किया कि अपीलांट अधिवक्ता द्वारा माली समाज के पक्ष मे बक्शीश की गई भूमि बाबत जो बक्शीशनामा पेश किया गया है, वह रजिस्टर्ड नही है इसलिए अपीलांट माली समाज को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के विरूद्ध अपील पेश करने का अधिकार ही नही है तथा यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये निर्णय के विरूद्ध इस न्यायालय मे अपील विलंब से पेश की है इसलिए अपीलांट की अपील मयाद बाहर होने से खारीज करने का निवेदन किया ।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तथा उसमे उपलब्ध दस्तावेजो एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 30–12–2015 का भी अध्ययन किया तथा बहस के दौरान अपीलांट अधिवक्ता द्वारा फार्म नंबर 3 के सलंग्न प्रस्तुत दस्तावेजो का भी अवलोकन किया ।

अपील संख्या 405/2017 मे अपीलांट माली संस्थान फलौदी जो कि राजस्व रेकर्ड मे अपीलाधीन भूमि खसरा नंबर 411 एवं 411/1 मे सह खातेदार है परंतु उसे अधीनस्थ न्यायालय की कार्यवाही मे पक्षकार बनाये बिना अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है इसलिए अपीलांट ने इस न्यायालय मे अपील पेश करने की अनुमति के प्रार्थना पत्र एवं धारा 5 मयाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत अपील को अंदर मयाद मानते हुए अपील पेश करने की अनुमति का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है ।

प्रस्तुत अपीलो मे अधीनस्थ न्यायालय के तलब रिकार्ड के अवलोकन से यह प्रकट है कि अपीलाधीन नामांतरकरण संख्या 352 के विरूद्ध पूर्व मे एक अपील संख्या 5/77 उपखण्ड अधिकारी फलोदी के न्यायालय मे पेश की गई थी जिसमे पारित निर्णय दिनांक 22–11–85 के द्वारा उक्त नामांतरकरण संख्या 352 पर पारित स्वीकृति आदेश दिनांक 7–12–76 को निरस्त करते हुए प्रकरण तहसीलदार फलौदी को रिमाण्ड किया जाने पर उक्त निर्णय की पालना मे तहसीलदार फलौदी ने बाद सुनवाई अपीलाधीन भूमि

के संबंध मे नया नामांतरकरण संख्या 712 दिनांक 30–5–88 को स्वीकृत कर दिया था तथा उसके आधार पर राजस्व रेकर्ड मे इन्द्राज भी किये जा चुके थे ।

इससे यह स्पष्ट है कि रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा नामांतरकरण संख्या 352 के विरूद्ध जो अपील अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश की गई थी, उस समय नामांतरकरण संख्या 352 तो अस्तित्व मे ही नही था, तो ऐसे अस्तित्व हीन म्युटेशन संख्या 352 के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत अपील पोषणीय ही नही थी । इसके अलावा जब अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पो0 संख्या 1 से 10 (वर्तमान अपीलांट) की ओर से लिखित बहस पेश कर दी थी जिसमे नामांतरकरण संख्या 352 के विरूद्ध अपील पेश होकर निरस्त होने का तथ्य प्रकट किये जाने के बावजुद अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्य को नजरअंदाज करते हुए जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, वह समर्थन योग्य नही होने से उसे बहाल रखा जाना न्यायोचित नही है ।

जहां तक रेस्पो0 भेराराम अपीलाधीन भूमि के संबंध मे विरासत के आधार पर अपीलाधीन भूमि मे अपना हक अधिकार होने का कथन करता है तो इतनी लंबी समयावधि के बाद ऐसे जटिल बिन्दु का बेहतर निस्तारण नियमित वाद के जरिये ही बाद शहादत एवं गवाह, सबूतो के आधार पर किया जा सकता है, ऐसे मे रेस्पो0 संख्या 1 भैराराम अपीलाधीन भूमि मे अपने अधिकारो की घोषण का वाद सक्षम न्यायालय मे पेश करने हेतु स्वतंत्र है ।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलांटगण द्वारा प्रस्तुत उक्त दोनो ही अपीलें स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय अपर जिला कलेक्टर फलौदी द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 30–12–2015 निरस्त किया जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 22–11–2017 को खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(वंदना सिंघवी)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर